निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 5 श्रावण 1944 (श0)
27 जुलाई 2022 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-43
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्यांध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	44-45
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	46-115
पूरक	---
पूरक-क	116-117

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

24 अगस्त 2021

सं0 2764––गया जिलान्तर्गत बौद्ध महाविहार के समीप बोधगया में अवस्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–2768है।

इस न्यास की प्राचीन के आधार पर मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण, विकास एवं सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक– 593, दिनांक– 23/05/2015 द्वारा 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया था।

न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर समिति द्वारा दिनांक–06/06/20 एवं दि0– 17/09/20 को न्यास समिति के अवधि विस्तार / पुर्नगठित करने का आवेदन दिया गया। इस संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि न्यास में सुचारू रूप से कार्य किये गये हैं तथा समय–समय पर न्यास की आय–व्यय का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, परंतु पर्षद के मद में 5 वर्षों का न्यास शुल्क नहीं प्राप्त होने पर समिति को पर्षद द्वारा नोटिस किया गया। तत्पश्चात पर्षद की बैठक दि0– 06/07/21 में लिये गये निर्णय से कुछ अन्य न्यास के साथ इस न्यास के जांच हेतु त्रिसदस्यीय जांच दल (मा0 पर्षद सदस्य, जिलाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया) का गठन कर जांच करायी गयी। अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति में की गयी जांच प्रतिवेदन दि0– 19/07/21 संचिका पर उपलब्ध है। जांचक्रम में समिति को न्यास की आय–व्यय की विवरणी एवं पर्षद के मद में देय शुल्क शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया गया तथा त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा उक्त समिति को भंगकर प्रशासनिक पदाधिकारियों को सम्मिलित कर नयी समिति का गठन किया जाय के साथ 11 सदस्यों का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। दि0– 27/07/21 को इस न्यास समिति सचिव श्री राय मदन किशोर उपस्थित होकर चेक सं0– 820270 से पर्षद को बकाया शुल्क जमा करते हुये नयी समिति गठन हेतू प्रस्तावित सूची में अपनी स्वीकृति भी दिये; जिनके द्वारा समिति में अच्छा कार्य करते हुये मंदिर के विकास में पर्याप्त सहयोग भी दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में श्री राय मदन किशोर के हस्ताक्षर से त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा प्रस्तावित सूची, जिसमें 05 प्रशासनिक पदाधिकारी, 04 सदस्य (पुर्व न्यास समिति) एवं 02 नवीन सदस्य क्रमशः 1. श्री अरविन्द कुमार तथा श्री लालमणि सिंह का नाम प्रस्तावित है को, मंदिर के विकास का देखते हुए इस प्रस्तावित सदस्यों की समिति के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए "प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर, बौद्ध महाविहार के समीप, बोधगया,जिला– गया" के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर न्यास योजना, बौद्ध महाविहार के समीप बोधगया, जिला–गया" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "प्राधीन श्री जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति, बौद्ध महाविहार के समीप, बोधगया, जिला–गया" होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यारा के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यारा की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि मंदिर की जो भूमि अतिक्रमण कर ली गयी है, उस संबंध में सक्षम पदाधिकारी के यहां कार्रवाई करेंगे तथा मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दाखिल–खारिज की कार्रवाई करेंगे। अधिनियम की धारा– 44 के प्रावधान लागु रहेंगे।

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों / श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो एवं पूजा के नाम पर उनसे जबरन वसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित ग्यारह सदस्यों की स्थायी न्यास समिति का गठन किया जाता है :–

महंत बोधगया मठ इसके संरक्षक रहेंगे।

1. जिलाधिकारी, गया –अध्यक्ष
2. श्रीमति उषा डालमियाँ,डालमिया सदन, के0 पी0 रोड, जिला– गया –उपाध्यक्ष
3. श्री राय मदन किशोर, अंटा कोठी, कटारी हिल रोड, गया, मो0– 700466885 –सचिव
4. अनुमंडल पदाधिकारी, गया –सदस्य
5. आरक्षी उपाधीक्षक, बोधगया –सदस्य
6. कार्यपालक दंडाधिकारी, गया, सदर, मो0– 9060286696 –सदस्य
7. कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया, नगर, पंचायत –सदस्य
8. श्री शिव कैलाश डालमिया, डालमिया सदन, के0पी0 रोड, गया –सदस्य, मो0– 9431234563
9. श्री अरविन्द कुमार सिंह, सच्चिदानंद विहार कॉलोनी, दो मुहान, बोधगया, गया– सदस्य
10. श्री ब्रजेन्द्र चौबे, कार्लो एजेन्सी के पीछे, दो मुहान, बोधगया, मो0–9199467600–सदस्य
11. श्री लाल मणि सिंह, मोचारिम, बोधगया, जिला– गया, मो0– 9934226588 –सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में "प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर, बौद्ध महाविहार, बोधगया के समीप, जिला– गया" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्यों को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/ भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय / पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in